

प्रारूप 48
राश्ट्रीय परमिट देने के लिए आवेदन
[नियम 86 देखिए]

सेवा में,

प्रादें अक / राज्य परिवहन अधिकारी

मैं हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, भारत के राज्य क्षेत्र (यहाँ वांछित राज्यों के नाम लिखें) राज्य में सर्वत्र विधिमान्य राश्ट्रीय परमिट के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं।

1. आवेदक (आवेदकों) का पूरा नाम
2. आवेदक की हैसियत, क्या वह व्यशिट, कम्पनी या भागीदारी, फर्म, सहकारी, सोसाइटी आदि है।
3. पिता या पति का नाम (व्यशिट की द ग में) और कंपनी या फर्म की द ग में, यथास्थित प्रबंध भागीदार या प्रबंध निदें अक की रजिस्ट्रीकरण संख्याक
4. पूरा पता (व्यशिट की द ग में) रा न कार्ड, विद्युत बिल आदि की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा या राज्य परिवहन प्राधिकारी/प्रादें अक परिवहन प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में किसी अन्य विधिमान्य दस्तावेजों सबूत द्वारा और कंपनी या फर्म की द ग में यथास्थिति, संगत ज्ञापन या भागीदार विलेख की अनुप्रमाणित प्रति द्वारा सम्मिलित किया जाना चाहिए।
5. (1) क्या आवेदन स्वंयं यान चालन चाहता है।
(2) यादि हां तो क्या आवेदक के पास भारी यात्री मोटर यान चलाने अनुज्ञित है?
(3) चालन अनुज्ञित का संख्यांक, तारीख और विधिमान्यता की अवधि
(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम और पता
6. प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र, बीमा प्रमाण—पत्र
7. किसी वि ओश यान की बावत अन्य परमिट धारित किया हुआ है तो उसका व्यौरा
8. आवेदक के द्वारा पहले से ही धारित राश्ट्रीय परमिट संख्या का व्यौरा
9. यान का टाइप, क्या वह दो धुरी वाला ट्रक या संलग्न यान या बहुधूरी वाला यान या ट्रक ट्रेलर संयोजन है।
10. मोटर यान का सैक
11. आवेदक (आवेदकों) द्वारा धारित यान /परमिट की बावत गत तीन वर्षों के दौरान दोशसिद्ध/निलम्बन/रद्दकरण, यदि कोई हो, की वि शिटयाँ
12. मैं/हम इसके साथ यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र भेजता हूँ/भेजते हैं या मैं/हम यान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र परमिट जारी किए जाने से पहले प्रस्तुत कर दूगाँ/देंगे।
13. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त कथन सत्य हैं और यह कि मैं/हम इस राज्य का/के निवासी हूँ/हैं और इस राज्य में के स्थान पर मेरा/हमारा कारबार का मुख्य स्थान है।
14. मैंने/हमने रूपये की फीस का संदाय कर दिया है।

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप